महत्वपूर्ण

संख्या-29/2018/757/18-2-2018-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक:29 अगस्त, 2018

विषय- शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस**,** जेम (**GeM)** की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में आप अवगत है कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार ने शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित जनपद के उपयुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र नोडल अधिकारी होंगे, जो संबंधित विभागों से समन्वय कर जेम पोर्टल पर सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण करायेंगे। इसी प्रकार मण्डल स्तर पर अपर /संयुक्त आयुक्त, उद्योग जेम पोर्टल पर सामग्री/सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु नोडल अधिकारी होंगे। संबंधित जनपदीय नोडल अधिकारी संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं संबंधित मण्डलीय अधिकारी संबंधित मण्डलायुक्तों को समय-समय पर वस्तुस्थिति से अवगत भी करायेंगे।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
2- समस्त मण्डलीय अपर /संयुक्त आयुक्त, उद्योग उ0प्र0।
3- समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र उ0प्र0।
4- प्रभारी, जेम सेल, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रवीश गुप्ता)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।